

14 7/22

पञ्जाब की सरकार की वकील पक्ष का पत्र
पुनः कोर्ट की पालन से कार्य किया
20/12 को पेश हो

Princy

20/12

पञ्जाब की सरकार की वकील पक्ष का पत्र
न्यायालय के इन्फुर्माशन आने पर ना
तो कोर्ट ना ही वकील पक्ष न्यायालय
के लक्ष उपलब्ध होंगे। इतः का इन्फुर्मा
शन कोर्ट के पक्ष में खारिज किया जाता
है। पञ्जाब की सरकार द्वारा दायित्व
देना नकार ले कर है।

Princy
(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

